**डराने-धमकाने के प्रका**

प्रत्यक्ष रूप से डराना-धमकाना (ओवर्ट बुलिंग)

प्रत्यक्ष रूप से डराने-धमकाने में (कभी-कभार इसे आमने-सामने या स्पष्ट रूप से डराना-धमकाना कहा जाता है) में घूँसा मारना या लात मारनी जैसे शारीरिक कृत्य अथवा गाली-गलौच व अपमान करने जैसे प्रत्यक्ष रूप से मुँह-जुबानी किए जाने वाले कृत्य शामिल हैं।

# अप्रत्यक्ष रूप से डराना-धमकाना (कोवर्ट बुलिंग)

अप्रत्यक्ष रूप से डराना-धमकाना (कभी-कभार इसे अस्पष्ट रूप से डराना-धमकाना भी कहा जाता है) गैर-शारीरिक रूप से डराने-धमकाने का एक जटिल प्रकार है जिसे आसानी से दूसरों द्वारा देखा नहीं जाता है और जो नज़रों से दूर रहकर किया जाता है, और इसलिए इसे अक्सर अध्यापकों द्वारा उपेक्षित किया जाता है।

अप्रत्यक्ष रूप से डराने-धमकाने वाले व्यवहार अधिकांश तौर पर किसी अन्य व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, मित्र समूह सम्बन्धों और आत्म-सम्मान को क्षति पहुँचाते हुए नुकसान करते हैं।

अप्रत्यक्ष रूप से डराने-धमकाने में बार-बार किए जाने वाले निम्नलिखित कृत्य शामिल हो सकते हैं:

• हाथों से इशारे करना और अजीब से मुँह बनाना या धमकी देते दिखाई पड़ना

• व्यक्ति के बारे में काना फूसी करना, उनका बहिष्करण करना और उनसे मुँह मोड़ना

• ब्लैकमेल करना, अफ़वाहें फैलाना, धमकियाँ देना, उनकी मित्रों को अपने साथ मिलाना

• राज़ खोलना, चुगली करना, कपड़ों व व्यक्तित्व की आलोचना करना।

उपरोक्त परिभाषाओं में मुख्य विशेषताएँ शामिल हैं और इन्हें Safe Schools Hub से लिया गया है जिसे http://www.safeschoolshub.edu.au/home पर ऐक्सेस किया जा सकता है और इन्हें ऑस्ट्रेलियन कोवर्ट बुलिंग प्रसार अध्ययन (Australian Covert Bullying Prevalence) मई 2009, एडिथ कोवान यूनिवर्सिटी से भी लिया गया है जिसे http://docs.education.gov.au/system/files/doc/other/australian\_covert\_bullying\_prevalence\_study\_executive\_su mmary.pdf पर से ऐक्सेस किया जा सकता है।

साइबर-बुलिंग (इंटरनेट पर डराना-धमकाना)

साइबर-बुलिंग विभिन्न प्रकार के मीडिया का प्रयोग करके कई तरीकों से की जा सकती है, जिनमें निम्नलिखित तरीके शामिल हैं:

• अपमानजनक टेक्स्ट या ई-मेल भेजकर

• नग्न या यौन तस्वीरों सहित निंदात्मक या निजी तस्वीरों को खींचना व उन्हें साझा करना

• सोशल नेटवर्क साइटों पर दु:शील संदेशो या अनुचित तस्वीरों को पोस्ट करना

• व्यक्ति-विशेषों को ऑनलाइन चैट या अन्य संचार से अलग करना

• ऑनलाइन तरीके से पीड़ित की पहचान बनाना और नकारात्मक या किसे ऐसे तरीके से उनका प्रतिनिधित्व करना जिससे दूसरे के साथ उनके सम्बन्धों को नुकसान पहुँचे

• ऑनलाइन गेमिंग में खिलाड़ियों पर बार-बार, और बिना किसी कार्यनीतिक कारण हमला करना।

मुँह-जुबानी किए जाने वाले दुर्व्यवहार, सामाजिक बहिष्करण और शारीरिक आक्रामकता जैसे डराने-धमकाने के अन्य प्रकारों के समान ही, साइबर-बुलिंग के परिणामस्वरूप डराए-धमकाए जाने वाले पीड़ित में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व शैक्षिक समस्याओं के पैसा होने की संभावना होती है।

यद्यपि साइबर-बुलिंग वास्तविक जीवन में डराने-धमकाने के व्यवहार के समान ही है पर यह निम्नलिखित तरीकों से अलग भी है:

• इससे बचना कठिन होता है और यह तेजी से फैलता है –यह सप्ताह में सातो दिन, चौबीसो घंटे (24/7) घटित हो सकता है और किसी व्यक्ति को उसके घर में उसकी मौजूदगी के दौरान निशाना बनाया जा सकता है।

• इसमें नुकसानदायक सामग्री का प्रचार श्रोतागणों की बड़ी संख्या को व्यापक रूप से और शीघ्रता से किया जाना शामिल हो सकता है, उदाहरणत: अफ़वाहें व तस्वीरें सार्वजनिक मंचों (पब्लिक फोरम) पर पोस्ट की जा सकती हैं या एक साथ कई लोगों को भेजी जा सकती हैं।

• यह डराने-धमकाने वाले व्यक्ति को पीड़ित से अपेक्षाकृत गुमनामी और दूरी प्रदान कर सकता है, इस कारणवश तात्कालिक प्रतिक्रिया या परिणामों का अभाव होता है।

साइबर-बुलिंग की परिभाषाओं में मुख्य विशेषताएँ शामिल हैं और इन्हें ऑस्ट्रेलियन संचार एवं मीडिया प्राधिकरण साइबर-स्मार्ट की वेबसाइट से लिया गया है जिसे यहाँ ऐक्सेस किया जा सकता है: <http://www.cybersmart.gov.au/Home/Schools/Cyber%20issues/Cyberbullying.aspx>